न्यायालय –अवर न्यायाधीश सोनपुर, सारण।
हकियत वाद सं0–170/2012.

गिरजा देवी एवं अन्य————————————————वादीगण

बनाम्

महेन्द्र सिंह एवं अन्य————————————————प्रतिवादीगण

09-10-2020

वादी की ओर से हाजरी हैं। प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं। वाद अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–20.01.2020 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आदेश

वादी की आर से एक आवेदन दाखिल कर कथन है कि वादी ने इस वाद में अपने पास से निम्नलिखित लोक दस्तावेज दाखिल की है जिसे प्रदर्श अंकित करने की अनुमति दी जाए।

(क) वोसिका बैनामा नविस्ते रामअवतार सिंह बनाम राम बहादुर सिंह दिनांक–25.11.1921 की सच्ची प्रतिलिपि।

(ख) हाल सर्वे खतियान खाता नं0–306 खेसरा नं0–1118 की सच्ची प्रतिलिपि।

(ग) साविक सर्वे नं0–1114 से हाल सर्वे नं0–1118 का इण्डेक्स की सच्ची प्रतिलिपि।

(घ) बैनामा दिनांक–25.11.1921 की सच्ची प्रतिलिपि का हिन्दी अनुवाद।

(ड0) अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर छपरा द्वारा एम नं0–325 सन् 1959 मुन्नी सिंह बनाम् राज बल्लभ सिंह वो0 में पारित आदेश दिनांक–01.07.1959 का सच्ची प्रतिलिपि।

(च) लगान निर्धारण वाद सं0–5/2011–12 अंचल पदाधिकारी,सोनपुर के आदेश दिनांक–30.12.2011 से 01.10.2012 तक का सच्ची प्रतिलिपि ।

(छ) प्रतिवादी सं0–1 के पिता एवं प्रतिवादी सं0–2 के ससुर मथुरा सिंह के द्वारा लिखित रजिस्टर्ड वसियतनामा दिनांक–17.

12.1980 के सच्ची प्रतिलिपि का फोटोकॉपी।

(ज) लगान रसीद जमाबंदी सं0–54 तौजी नं0–3106 सन् 1955 की मूल प्रतिलिपि।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक–18.02.2020 को उपरोक्त आवेदन का प्रत्युतर दाखिल किया गया। प्रत्युतर में प्रतिवादी का कथन है कि वादी का आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। वादी के आवेदन के पैरा नं0–1 में ख एवं ग को छोड़कर बाकी कंडिका को प्रतिवादी स्वीकार नहीं करते हैं। वह सब कागजात विरोधाभाष है जो सुनवाई के समय विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। वादी के आवेदन के कंडिका 1 के बहुत से कागजात लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते है। उन कागजातो को विधि संगत कानून के द्वारा प्रदर्श अंकित कराया जा सकता हैं । अतः निवेदन है कि वादी के आवेदन 20.01.2020 को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी के साक्ष्य हेतु नियत चला आ रहा हैं। वादी की ओर से जिन दस्तावेजो को प्रदर्श अंकित करने हेतु आवेदन में कथन किया गया है उसमें वोसिका बैनामा दिनांक–25.11.1921 की सच्ची प्रतिलिपि, हाल सर्वे खतियान खाता नं0–306 खेसरा–1118 की सच्ची प्रतिलिपि, साविक सर्वे 1143 से हाल सर्वे 1118 के इण्डेक्स की सच्ची प्रतिलिपि, अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा एम नं0–325 सन् 1959 मे पारित आदेश दिनांक–01.07.1959 की सच्ची प्रतिलिपि, लगान निर्धारण वाद सं0–05/11–12 अंचल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश दिनांक–30.12.2011 से 01.10.2012 तक की सच्ची प्रतिलिपि लोक दस्तावेजो की श्रेणी में आत है। वादी की ओर से दाखिल अन्य दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त वर्णित केवल लोक दस्तावेजा की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती हैं। अतः

वादी के आवेदन का अंशतः स्वीकृत करते हुए कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि केवल लोक दस्तावेजों की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित करे।

वाद दिनांक–21.10.2020 को साक्ष्य हेतु।

लेखापित

अवर न्यायाधीश प्रथम,
सोनपुर (सारण)